

कार्यालय, डीन अकादमिक अफेयर्स, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

शासि/अकाद/एफ(17)04/बोम-20/2015/1020-24

दिनांक 30.10.2015
31.

कार्यालय आदेश

वित्त समिति की 12वीं बैठक दिनांक 28.06.2014 के बिन्दु संख्या 125 पर समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार मूल्य सूचकांक एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की लागतों में वृद्धि होने से एवं प्रबन्ध मण्डल की 20वीं बैठक दिनांक 23.09.2014 के बिन्दु संख्या 20.5 पर अनुमोदन उपरान्त सम्बद्धता प्रदान करने के क्रम में महाविद्यालयों/संस्थानों के निरीक्षण शुल्क राशि की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

SN	Particulars	-Inspection Fee-	
		Existing Inspection / Re-Inspection/Sudden Inspection Fee	Revised Inspection/ Re-Inspection/Sudden Inspection Fee
1	Engineering, Management, MCA, HMCT, Architecture, Dual Degree, Integrated Programme	₹ 15000/- Per Faculty/each inspection	₹ 25000/- Per Faculty/each inspection

उक्त आदेश दिनांक 23.09.2014 से प्रभावी होंगे। राजकीय महाविद्यालयों/संस्थानों के संबंध में उक्त वृद्धि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 35(1)(घ) के अनुसार राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर लागू होगी।

डीन, अकादमिक अफेयर्स

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय
2. वित्त नियंत्रक
3. कुलसचिव
4. सहायक कुलसचिव-प्रथम (सम्बद्धता शाखा)
5. वेब मास्टर
6. रक्षित पत्रावली

डीन, अकादमिक अफेयर्स